



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-30082025-265805
CG-BR-E-30082025-265805

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3848]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2025/भाद्र 6, 1947

No. 3848]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2025/ BHADRA 6, 1947

रेल मंत्रालय
(पूर्व मध्य रेल)

अधिसूचना

पटना, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3953(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 2008 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् “पूर्व मध्य रेलवे की सकरी-हसनपुर नई लाइन परियोजना के अन्तर्गत बिथान- कुशेश्वर स्थान -हरनगर(Detour Alignment)” का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर बिहार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जायेगी और उसके आधार अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सूने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सूनवाई के पश्चात् तथा और ऐसी जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के रेखांकन और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में “पूर्व मध्य रेलवे की सकरी-हसनपुर नई लाइन परियोजना के अन्तर्गत बिथान- कुशेश्वर स्थान -हरनगर(Detour Alignment)” का निर्माण कार्य परियोजना के लिए संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहित की जानेवाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं०	मौजा का नाम	राजस्व थाना	खेसरा संख्या	प्रभावित खेसरा	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	भरसो	181	658	आंशिक	0.8528
2			656		1.7347
3			657		0.2787
				कुल	2.8861

[फा. सं. ECR/CAO/C/N/SKI-HPO/NL/3]

राम जन्म, मुख्य प्रशा. अधि./निर्माण/उत्तर

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Central Railway)

NOTIFICATION Patna, the 25th August, 2025

S.O. 3953(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (24 of 1989) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, “Bithan –Kusheshwar Asthan-Harnagar(detour alignment) in connection with Sakri-Hasanpur New line Project of East Central Railway” project in the district of Samastipur in the State of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority land acquisition officer namely, District Land Acquisition Officer, Samastipur, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for “Bithan –Kusheshwar Asthan-Harnagar(detour alignment) in connection with Sakri-Hasanpur New line Project of East Central Railway” project in the district of Samastipur in state of Bihar.

Sr.No.	Name of Village	Thana	Plot No.	Affected Plot	Area(in Acre)
1	Bharso	181	658	Part	0.8528
2	Bharso	181	656	Part	1.7347
3	Bharso	181	657	Part	0.2787
				Total:	2.8661

[F. No. ECR/CAO/C/N/SKI-HPO/NL/3]

RAM JANM, CAO/Con/North